भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

(हिंदी कक्ष)

<u>बैठक की कार्यसूची</u>

जनवरी-मार्च 2021 तिमाही विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्यसूची निम्न प्रकार है:

पिछली बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा।

1. बैठक के दौरान समिति के निम्न सदस्य अनुपस्थित थे।

    1. श्री पीताम्बर बेहेरा, उप-वित्त अधिकारी - अनुपस्थित
    2. श्रीमती नलिनी मेशराम, सहायक कुलसचिव - अवकाश पर
    3. श्रीमती मोहनी मदान, अुनभाग अधिकारी - अवकाश पर

2. निदेशक महोदय की अध्यक्षता में 14 जनवरी 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे ऑनलाइन आयोजित (अक्तूबर-दिसम्बर 2020) तिमाही विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया था। संबंधित अनुभागों/विभागों द्वारा कार्यवृत्त के बिंदुओं पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्यवृत्त बिंदु	अनुवर्ति कार्रवाई
1.	संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "क" और "ख" क्षेत्र में शत-प्रतिशत तथा "ग" क्षेत्र में 65 प्रतिशत पत्र व्यवहार (ई-मेल सहित) हिंदी में करने के लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु यथासंभव प्रयास किए जाएं। **- सभी अनुभाग/विभाग**	संस्थान में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "ग" क्षेत्र में हिंदी पत्राचार के 65 प्रतिशत के लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया गया है तथा शेष "क" और "ख" क्षेत्र में शत-प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
2.	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी कागज-पत्र अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं। **- सभी अनुभाग/विभाग**	अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित कागज-पत्र जैसे – कार्यालय आदेश, परिपत्र आदि को द्विभाषी रूप में जारी किया जा रहा है।
3.	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में ही दिया जाए। **- सभी अनुभाग/विभाग**	संस्थान में हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जा रहा है।
4.	सभी विभागों/अनुभागों द्वारा "क" और "ख" क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी/द्विभाषी रूप में दिए जाने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए। **- सभी अनुभाग/विभाग**	"क" और "ख" क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी/द्विभाषी रूप में दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

क्र.सं.	कार्यवृत्त बिंदु	अनुवर्ति कार्रवाई
5.	सभी विभागों/अनुभागों द्वारा "क" और "ख" क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। **- सभी अनुभाग/विभाग**	संस्थान में अधिकांश पत्राचार ई-मेल आदि के माध्यम से किया जा रहा है। अत: लिफाफों पर पते लिखे जाने का कार्य नगण्य है।
6.	संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों द्वारा अधिकाधिक हिंदी में विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित मानदंडों अर्थात अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के विज्ञापनों पर किए गए खर्च का 50 प्रतिशत हिंदी विज्ञापनों पर किए जाने में संतुलन बनाया जा सके। **- सभी संबंधित अनुभाग/विभाग**	सभी विभागों/अनुभागों द्वारा हिंदी में विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
7.	डायरी रजिस्टर सहित संस्थान के विभागों/अनुभागों में रजिस्टरों के स्थान पर कंप्यूटरों पर की जा रही प्रविष्टियां हिंदी में किए जाने का प्रयास किया जाए। **- सभी अनुभाग/विभाग**	कंप्यूटरों पर की जा रही प्रविष्टियां हिंदी में किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
8.	सभी विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही रिपोर्ट में दिए जाने वाले आंकड़ों का सही से मूल्यांकन करते हुए निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किए जाएं, ताकि मंत्रालय आदि में समय पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। **- सभी अनुभाग/विभाग**	तिमाही रिपोर्ट संबंधी आंकड़े निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किए जाने हेतु सभी विभागों/अनुभागों से अनुरोध किया गया है।
9.	संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा टिप्पण आदि पर हस्ताक्षर हिंदी में किए जा सकते हैं, साथ ही, जहां संस्थान का नाम लिखे जाने की आवश्यकता हो वहां 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान' हिंदी में लिखा जा सकता है। **- सभी अनुभाग/विभाग**	टिप्पण आदि पर आंशिक रूप से हस्ताक्षर हिंदी में किए जाना, साथ ही, जहां आवश्यक है वहां संस्थान का नाम हिंदी में लिखा जा रहा है।
10.	संस्थान के संबंधित विभागों/अनुभागों द्वारा डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों के प्रमाण-पत्र द्विभाषी अर्थात हिंदी व अंग्रेजी में तैयार करते हुए जारी किए जा सकते हैं। **- संबंधित अनुभाग/विभाग**	एमडीपी विभाग में पहले से ही प्रमाण-पत्र द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहें तथा शेष विभागों में प्रमाण-पत्र द्विभाषी रूप में जारी करना प्रस्तावित है।

1. संस्थान में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 (संलग्न) पर चर्चा।
2. सेवा पुस्तिकाओं में हिंदी में प्रविष्टयां।
3. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों द्वारा हिंदी में कार्य की प्रतिशतता बढ़ाया जाना।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

(हिंदी कक्ष)

12 अप्रैल 2021 को 11.30 बजे (पूर्वाह्न) ऑनलाइन आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त

संस्थान में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की (जनवरी-मार्च 2021) तिमाही बैठक दिनांक 12 अप्रैल 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे ऑनलाइन अध्यक्ष, वि.रा.भा.का. समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

क्र.सं.	समिति सदस्य
1	प्रोफेसर मनोज पंत, निदेशक एवं अध्यक्ष, वि.रा.भा.का. समिति
2	प्रोफेसर डॉ. सतिन्द्र भाटिया, डीन (शैक्षणिक)
3	डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता, कुलसचिव
4	श्री गौरव गुलाटी, उप-कुलसचिव
5	डॉ. कविता वाधवा, सहायक आचार्या - कोलकाता केंद्र
6	श्री पीताम्बर बेहेरा, उप-वित्त अधिकारी
7	श्री बी. प्रसन्नाकुमार, सहायक कुलसचिव
8	श्रीमती अमीता आनंद, सहायक पुस्तकालयाध्यक्षा
9	श्रीमती कविता शर्मा, अनुभाग अधिकारी
10	श्रीमती ललिता गुप्ता, अनुभाग अधिकारी
11	श्री द्वैपायन आश, अनुभाग अधिकारी, कोलकाता केंद्र
12	श्री गौरव गुप्ता, अनुभाग अधिकारी
13	श्री जितेंद्र सक्सेना, अनुभाग अधिकारी
14	श्री राजेन्द्र प्रसाद, हिंदी अधिकारी - सदस्य सचिव

जनवरी-मार्च 2021 तिमाही विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक के दौरान समिति के निम्न सदस्य अनुपस्थित थे:

1. श्री बिमल पंडा, प्रणाली प्रबंधक - अनुपस्थित
2. श्री रोहित मेहतानी, सीआरपीडी - अवकाश पर
3. श्री भुवन चंद्र, वरि. प्रशासनिक अधि. - अवकाश पर
4. श्रीमती नलिनी मेशराम, सहायक कुलसचिव - अवकाश पर
5. श्रीमती सुमिता मारवाह, अनुभाग अधिकारी - अनुपस्थित
6. श्री राकेश कुमार ओझा, अनुभाग अधिकारी - अनुपस्थित

अक्तूबर-दिसम्बर 2020 तिमाही बैठक में समिति सदस्यों की अनुपस्थित/अवकाश को स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बिंदु निम्न प्रकार हैं: -

1. संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 (संलग्न) के अनुसार "क" और "ख" क्षेत्र में हिंदी पत्राचार (ई-मेल सहित) के शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न उपायों का अनुकरण किया जाना अपेक्षित है:

   i) गुगल अनुवाद की मदद से अधिकाधिक द्विभाषी पत्राचार करना।
   ii) हिंदी कक्ष से अनुवाद संबंधी मदद लेते हुए मानक पत्रों को द्विभाषी रूप में जारी करना।
   iii) अंग्रेजी शब्दों के लिप्यांतरण के साथ मसौदे का सरलीकरण करते हुए पत्रों को द्विभाषी रूप में जारी करना।
   iv) नियुक्ति पत्रों को द्विभाषी रूप में जारी करने का प्रयास।
   v) संस्थान की ओर से जारी किए जाने वाले पत्रों व टिप्पण आदि पर हिंदी में हस्ताक्षर करने का प्रयास किया जाना।

- सभी अनुभाग/विभाग

2. वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 के अनुसार फाइलों पर हिंदी में टिप्पण/टिप्पण्यिों के 75 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु फाइल कवर के पिछले पृष्ठ पर लिखी संक्षिप्त टिप्पण्यिों की मदद से व अंग्रेजी शब्दों का लिप्यांतरण करते हुए फाइलों पर अधिकाधिक हिंदी में टिप्पणियां लिखे जाने का प्रयास किया जाए।

- सभी अनुभाग/विभाग

3. संस्थान में शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाले सभी विभागों/अनुभागों द्वारा डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र आदि द्विभाषी रूप में अर्थात हिंदी व अंग्रेजी में अनिवार्यत: जारी किए जाएं।

- सभी अनुभाग/विभाग

4. सभी विभागों/अनुभागों द्वारा "क" और "ख" क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी/द्विभाषी रूप में दिए जाने हेतु क्र.सं.1 के अंतर्गत सुझाए गए उपायों को अपनाते हुए यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

- सभी अनुभाग/विभाग

5. संस्थान में सेवा पुस्तिकाओं में अधिक-से-अधिक प्रविष्टियां हिंदी में किया जाने का प्रयास किया जाए।

- स्थापना विभाग

6. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों के द्वारा किए जा रहे राजकीय कार्यों में हिंदी की प्रतिशतता बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

- सभी समिति सदस्यगण

7. सभी विभागों/अनुभागों द्वारा तिमाही रिपोर्ट में दिए जाने वाले आंकड़े निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

- सभी अनुभाग/विभाग

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।